

**फर्द अहकाम**

(नियम 28)

अज अदालत उत्तराखण्ड मजिस्ट्रेट सिकराय .....

सरकार बनाम नवल खिराट पि शकसहाय .....

किस्म मुकदमा रात मु० नं० 116/19 .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
11/3/19	<p>प्रेस कार सिकराय के द्वारा हुकमी हुकम किया। रात के एक्टिव किया जाकर एक्टिविटी की तारीख की जाकर नवावली दि 8-5-19 से प्रेषित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>अखण्ड अधिकारी</b> <b>सिकराय मजिस्ट्रेट</b></p>	
31/4/19	<p><del>पत्रावली पेश हुई परीकार सरकार उपस्थित परीकार सरकार को सुना दिया परीकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उक्त की निवारण हेतु कानून का अभाव सिद्ध है। कश्चित् कार्य है।</del></p> <p>किसी तैयारी के उक्त चलने प्रमाण नहीं है।</p> <p>अर्थात् उक्त की उल्लेख पर धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली के मेल सुनाना एकल नम्बर ले के है।</p> <p style="text-align: right;"><b>अखण्ड अधिकारी</b> <b>सिकराय मजिस्ट्रेट</b></p>	<p>मीमावली जज निवारण ता उक्त दिप्प उक्त म प्रस्तावने 2/5</p>